प्रारूप –2

परिशिष्ठ

(देखिए नियम– 6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा– 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग– 1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण:–

1.

क). अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	सिरकारी भ्यौल रुपसियाबगड जल विद्युत परियोजना (क्षमता 3x40=120 मेगावॉट) के नवनिर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।
ख). 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	मानचित्र संलग्न है।
ग). परियोजना की लागत।	**87943 लाख।**
घ). वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	परियोजना निर्माण हेतु कई विकल्पों का अध्ययन किया गया। वर्तमान स्थल निर्माण कार्य के दृष्टिकोण से, तकनिकी तथा आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त है।
ड़). लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	परियोजना निर्माण से प्रतिवर्ष **529.12 एम0यू0** विद्युत उत्पादन राज्य विद्युत परिषद् की ग्रिड को फीड की जायेगी। परियोजना के निर्माण से वनों के ऊपर से निर्भरता कम होगी।
च). रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय निवासियों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	गेटेड बैराज, इनटेक (दो फीडर सुरंग सहित), भूमिगत डिसिल्टिंग चैम्बर, हैडरेस सुरंग, ओरिफिस सर्ज शाफ्ट, स्टील लाइनेड प्रेशर शाफ्ट/पेनस्टाक पाइप (तीन इकाईयों में विभाजित) भूमिगत पावर हाउस (वर्टिकल फ्रांसिस टरबाईन), टेलरेस टनल की अतिरिक्त लम्बाई हेतु आवश्यक भूमि। नाप भूमि – **0.000 हैक्टेयर।** सिविल सोयम वन भूमि – **8.562 हैक्टेयर।** वन पंचायत भूमि – **21.435 हैक्टेयर।** आरक्षित वन भूमि – **0.00 हैक्टेयर।** **कुल भूमि** – **29.997हैक्टेयर।**

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	परियोजना एक रन ऑफ दि रिवर परियोजना है तथा परियोजना से भूमि जलमग्न नहीं होगी। तथा न ही कोई परिवार विस्थापित होगा।
क) परिवारों की संख्या	शून्य।
ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य।
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	कोई आवश्यकता नहीं है।
4. क्या पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 हाँ। के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ / नहीं)	आवश्यकता पड़ने पर ली जायेगी।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दंड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता (जानपद)
यू0जे0वी0एन0लि0
मुनस्यारी, पिथौरागढ़

दिनांक..............................

स्थान................................

सहायक अभियन्ता (वि0/या0)
यू0जे0वी0एन0लि0
मुनस्यारी पिथौरागढ़

JE

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम

मोहर

प्रस्ताव की क्रम संख्या...
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

प्रारूप–3

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

07. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत सिरकारी श्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता 3X40=120मेगावॉट) के नवनिर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।
(i) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उतराखण्ड
(ii) जिला	पिथौरागढ़
(iii) जिला वन प्रभाग	वन प्रभाग पिथौरागढ
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	29.997 हेक्टेयर (सिविल एंव वन पंचायत भूमि)
08. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः	उत्तम
09. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः	संलग्न है।
(i) वन का प्रकार	
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	0.2
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के नवनिर्माण में प्रभावित हो रहे वृक्षों एंव उनके नाम की सूची प्रस्ताव में संलग्न है।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	संलग्न है।
10. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	यह क्षेत्र क्षरित क्षेत्र का हिस्सा नही है एंव भूगर्भीय निरीक्षण आख्या संलग्न है। तथा रिपोर्ट से सहमत है।
11. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। 2.0 कि0मी0

12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	संलग्न है।
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	प्रभावित नहीं है।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं है।
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं हैं।
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं हैं।
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	नहीं है।
13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं हैं।
14. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	संलग्न हैं।
(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	अपरिहार्य एंव न्यूनतम है।
(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	लागू नहीं।
15. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नहीं।
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही	नहीं।
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	नहीं।

16. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	सिविल भूमि।
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	संलग्न है।
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	संलग्न है।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हां।
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	रू0 2,02,31040.00
(vi)क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हां।
17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	संलग्न है।
18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें	संलग्न है।

स्थानः

तारीखः

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

हस्ताक्षर नाम प्रभागीय मुद्रा

प्रारूप–4

भाग–III

19. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।

20. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।

21. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

स्थानः
तारीखः

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

25– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

26– राज्य सरकार की सिफारिशः (उपर्युक्त भाग–II या भाग–III या भाग–IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर